

फर्द अहकाम

पन्ना

(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

किस्म मुकदमा

बनाम

नं.

खन

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जब

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

न्याय आपके द्वार अभियान - 2018
लोक अदालत

20.6.18

पत्रावली केम बौटि खिडर में केरा हुमी मुनिवादी
 दस्ता 1 से 3 में गौरी लोच से बना सिमा कि
 सिमाई जात हुये हे जो शासिल सिमा हे
 शाफ़ पुरोवा नो पाईए सिमा के बह उबला में
 जोसिल पतावा हे अता, वापी अमजा वाप क्षेत्र
 कि क्षेत्र वापी नो उबला का नितारण हो
 अता एर कासा पाईए सिमा अदिमता की ने
 मंगला का शासिल पत्र केरा सिमा
 वादीगा न इमल वाप पत्र का
 निवेदन सिमा कि जाप अ-करी के सिमावा
 खतम नंबर 11 नंबर 3-50 वाडी 11
 ख. नं 9 (1-20), 10 (1-20), 13 (1-30)
 की धारणी बालू पुत्र अजमा व उमैर वासिल
 नो वादीगा के पति यकीनत सिदुप पत्र
 सिमा 24.3.1982 का बेलन का अतमा व
 देखल काल सिमा का 1 सिमा बालू केवादि

पुलिसी प्रमाण (दे 3 है) वा 13 जल अतिरिक्त
 के एतल अतल नम्बर 11 (0.16), 14 (0.07),
 15 (0.11), 16 (0.16) एतल अतल अतिरिक्त
 के वादीगण के नाम वही अतल के बचान विवेक
 बाल पुत्र अतल के नाम वही वही वही।
 अतल, वा 13 जल अतिरिक्त के वादीगण वही
 1 जल अतल अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त

अतल अतल अतल अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त

अ. अ. 11 एतल 3-50 बाल पुत्र अतल
 अतल न व अतल वादीगण के अतिरिक्त
 वादीगण वही अतल अतिरिक्त अतिरिक्त अतल
 1/3 अतल अतिरिक्त अतिरिक्त अतल अतिरिक्त
 व एतल अतल के अतिरिक्त बाल वही 1/3
 अतल अतिरिक्त है (अतिरिक्त बाल वही अतल
 वादीगण के नाम वही अतल के बचान एतल
 अतल अतिरिक्त के अतल अतिरिक्त बाल पुत्र
 अतल के नाम वही वही वही वही । अतिरिक्त
 अतल के अतिरिक्त अतिरिक्त है अतिरिक्त अतिरिक्त
 अतल के अतल के अतल वही अतिरिक्त
 अतल । अतिरिक्त के अतिरिक्त अतिरिक्त
 वही अतिरिक्त के बाद अतल है अतल है
 अतल के अतल अतिरिक्त अतिरिक्त व अतिरिक्त
 अतल के वादीगण के अतल वही अतिरिक्त
 अतल है वही के अतल के अतल अतिरिक्त

अतल अतल
 अतल अतल
 अतल 1/3 अतल
 के अतिरिक्त
 अतल
 11 (0.16),
 अतल 4 अतल
 वही वही
 अतल अतल
 अतल, 5
 अतिरिक्त
 अतल
 अतल
 अतल
 अतल
 अतल

पर उपरोक्त रही है। कापीगण विद्वान पर
अहकाम आरंभित पुनरागण पर बालु पुत्र
बापका 1/3 हिस्से पर खेतदारी जालियाई
के सविधकारी है।

अतः जज अन्वये के हाल खसरा
11 (0.16), 14 (0.07), 15 (0.11), 16 (0.19)
कीमा 4 खसरा 053 को आरंभित वादीगण
का वाप लेखीयाल किया जाता है। उक्त आरंभित
पर बालु पुत्र बापका के 1/3 हिस्से पर कापीगण
अंगला, जालियाल पर नंगे को खेतवाल घोषित
किया जाता है। तदुद्दीलमात नगिरजाय उक्त मुता
अप्राय रेकार्ड के अन्त दरार के कार्यवाही
करके (पलवाल खसरे खसरे वहन करे।
इस आरंभित को जमी डिक्री जारी हो पत्रावली
जिसल शुमाल हो का नम्बर देकर हो व
दाखिल करना है।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :: 

न्याय आपके द्वार 2018
डिक्री व मुकदमें इबाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद


मंगला बनाम नानू

दावा बाबत :- 88,188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -101/17
पेश करने की दिनांक - 21.7.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरु श्री वीरेन्द्र. सिंह यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई स्वयं मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम अंसरी के हाल खसरा नम्बर 11 (0.16), 14 (0.07), 15 (0.11), 16 (0.19) किंता 4 रकबा 0.53 की आराजी पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। उक्त आराजी पर बालू पुत्र कज्जा के 1/3 हिस्से पर वादीगण मंगला, गणपत पि0 नंगा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।



राजस्व दस्तेखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 06 सन् 2018 को जारी की गयी।

मुददई


मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद